

E-Mail

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संचिका सं०- 02/भू0अ0नि0 (1) यो0बजट- (2023-24)-01/2023.....2738

प्रेषक,

जय सिंह, मा०प्र०से०

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण,

बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी,

पटना / सारण (छपरा) / मुजफ्फरपुर / समस्तीपुर / दरभंगा / गया / वैशाली (हाजीपुर) /  
पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) / भोजपुर (आरा) / बक्सर / गोपालगंज / भागलपुर /  
कैमूर (भभूआ) / नवादा / सिवान

बन्दोबस्त पदाधिकारी,

बाँका / शिवहर / सहरसा / बेगूसराय / लखीसराय / जहानाबाद / अरवल / किशनगंज /  
अररिया / कटिहार / सीतामढ़ी / सुपौल / मधेपुरा / जमुई / शेखपुरा / नालन्दा /  
पश्चिम चम्पारण (बेतिया) / पूर्णियाँ / खगड़िया / मुंगेर

राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान,

शास्त्रीनगर

सहायक निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय,

बिहार, पटना।

पटना दिनांक :- 17/04/2023

विषय :-

मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा  
बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के  
अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु आपके  
नियंत्रणाधीन कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि मद में कुल- 7,54,10,000.00 (सात  
करोड़ चौवन लाख दस हजार) रुपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :-

क्र०स 0	कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष						योग
		01 01 वेतन	01 03 जी०या०भ०	01 04 म०कि०भ०	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चि०भत्ता	01 07 अन्य भत्ता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, पटना	3268400	1470800	523000	182700	60000	12000	5516900
2	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, सारण (छपरा)	700000	250000	52000	15000	15000	-	1032000

क्र०स ०	कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष						योग
		०१ ०१ वेतन	०१ ०३ जी०या०भ०	०१ ०४ म०कि०भ०	०१ ०५ परिवहन भत्ता	०१ ०६ चि०भत्ता	०१ ०७ अन्य भत्ता	
१	२	३	४	५	६	७	८	९
३	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	३०६०००	१३४०००	२१६००	६९००	८०००	—	४७६५००
४	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, समस्तीपुर	१२०८००	५५६००	१२१००	७३००	३०००	—	१९८८००
५	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, दरभंगा	११०६४००	४७५८००	८८६००	२८४००	२८०००	—	१७२७२००
६	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, गया	१०७४८००	४५१५००	८६०००	२५०००	२४०००	—	१६६१३००
७	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर)	४३००००	२०००००	३५०००	—	८०००	—	६७३०००
८	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)	५०००००	२५००००	४००००	—	८०००	—	७९८०००
९	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)	११९६६००	५२७०००	१०६०००	२३०००	२००००	४०००	१८७६६००
१०	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, बक्सर	२१५६००	९०६००	१७३००	—	४०००	—	३२७५००
११	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, गोपालगंज	५४२०००	२३००००	४५०००	—	८०००	—	८२५०००
१२	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, भागलपुर	८६००००	३६००००	७००००	१८०००	१८०००	—	१३२६०००
१३	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, कैमूर	३६००००	१५९०००	२१६००	—	८०००	—	५४८६००
१४	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, नवादा	४१००००	१७५०००	३५०००	—	८०००	—	६२८०००
१५	समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, सिवान	२०७६००	८७२००	१६७००	—	४०००	—	३१५५००
१६	बन्दोबस्त पदाधिकारी, बाँका	१६०००००	७०००००	६००००	—	३४०००	—	२३९४०००
१७	बन्दोबस्त पदाधिकारी, शिवहर	१७७८२००	३०००००	१०००००	—	३६०००	—	२२१४२००
१८	बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा	१४२००००	६५१६००	११३४००	३१०००	३२०००	—	२२४८०००
१९	बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय	२५८१४००	११११०००	१५५४००	४७८००	४८०००	—	३९४३६००
२०	बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय	१८०००००	७५००००	१५००००	—	५००००	—	२७५००००

क्र०स०	कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष						योग
		01 01 वेतन	01 03 जी०या०भ०	01 04 म०कि०भ०	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चि०भत्ता	01 07 अन्य भत्ता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	बन्दोबस्त कार्यालय, जहानाबाद	1504000	631700	87000	—	32000	—	2254700
22	बन्दोबस्त कार्यालय, अरवल	1485000	613600	89100	—	4000	—	2191700
23	बन्दोबस्त कार्यालय, किशनगंज	1258000	528400	100700	—	36000	—	1923100
24	बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया	1350000	700000	300000	—	30000	1500	2381500
25	बन्दोबस्त कार्यालय, कटिहार	1634000	686300	130800	37500	40000	6000	2534600
26	बन्दोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी	1979200	930300	105000	30600	40000	50000	3135100
27	बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल	2466000	838500	197300	—	52000	—	3553800
28	बन्दोबस्त कार्यालय, मधेपुरा	1500000	734000	100000	—	32000	—	2366000
29	बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई	2000000	1000000	200000	—	70000	—	3270000
30	बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा	1790000	751800	107400	—	44000	—	2693200
31	बन्दोबस्त कार्यालय, नालन्दा	2450000	1100000	100000	100000	100000	6000	3856000
32	बन्दोबस्त कार्यालय, प०चम्पारण (बेतिया)	2473200	1039000	132800	34100	36000	—	3715100
33	बन्दोबस्त कार्यालय, पूणियाँ	2000000	400000	200000	40000	40000	—	2680000
34	बन्दोबस्त कार्यालय, खगड़िया	1046000	439400	62800	—	24000	—	1572200
35	बन्दोबस्त कार्यालय, मुंगेर	1752100	736000	140200	424000	40000	—	3092300
36	राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर	780000	325000	125000	50000	50000	10000	1340000
37	सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिभाष निदेशालय	800000	350000	130000	50000	20000	20000	1370000
कुल योग :-		48745300	20233100	4056800	1151300	1114000	109500	75410000

(सात करोड़ चौवन लाख दस हजार) रूपये मात्र

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 1296 दिनांक 03.06.2022 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40- 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
9. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
11. आवंटित राशि से बकाया वेतन (एरियर) राशि की निकासी न की जाय। इसके लिए कर्मिवार ब्यौरा सहित अलग से राशि की माँग की जाय। यदि अलग से कर्मिवार आवंटन की माँग किए बिना उपलब्ध कराए गए आवंटन से एरियर की राशि की निकासी की जाती है तथा इस कारण वेतनादि मद में यदि आवंटन में कमी होती है तो संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इसके लिए जिम्मेवार होंगे।

विश्वसभाजन

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिभाष

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (1) यो0बजट- 2023-24)-01/2023.....2738.....

पटना, दिनांक :- 17/04/2023

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिभाष

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (1) यो0बजट- 2023-24)-01/2023.....<sup>2738</sup> पटना, दिनांक :- <sup>17/04/2023</sup>  
प्रतिलिपि:- संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (1) यो0बजट- 2023-24)-01/2023.....<sup>2738</sup> पटना, दिनांक :- <sup>17/04/2023</sup>  
प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (1) यो0बजट- 2023-24)-01/2023.....<sup>2738</sup> पटना, दिनांक :- <sup>17/04/2023</sup>  
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण